IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारिक शिक्षा के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौतियाँ - एक अध्ययन

सृष्टि सिंह* एवं डॉ ० ओम पाल सिंह**

*शोध अभ्यर्थी , शिक्षाशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कॉलेज, सिविल लाइन्स, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

**आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग , डी० ए० वी० कॉलेज, सिविल लाइन्स, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य और शैक्षणिक संस्थानों में, एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में, इसके उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों और रूपरेखाओं, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका ध्यान शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने, शिक्षा तक समावेशी और न्यायसंगत पहुँच को बढ़ावा देने, छात्रों में रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और उन्हें डिजिटल युग में वैश्विक चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने पर है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं और सामाजिक आकांक्षाओं के जवाब में अनुकूलन और नवाचार करने के निरंतर प्रयास को दर्शाता है। नीति के प्रत्येक चरण ने पहुँच का विस्तार करने, गुणवत्ता में सुधार करने और शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है, जो आने वाले वर्षों में अधिक लचीली और गतिशील शिक्षा प्रणाली के लिए आधार तैयार करता है। प्रस्तावित शोध पत्र - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के दायित्वों के विस्तार से सम्बंधित, कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का अध्ययन प्रस्तुत करता है।

संकेत शब्द - चुनौतियाँ, आधारिक स्तर, आंगनवाड़ी।

प्रस्तावना

1975 में, भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) शुरू की, जो ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को विद्यालय पूर्व तैयारी, जैसी सेवाएँ प्रदान करना था। आंगनवाड़ी केंद्र इन सेवाओं के लिए अग्रणी वितरण केंद्र बन गए, जिससे पूरे देश में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ देखभाल के लिए एक संरचित दृष्टिकोण स्थापित हुआ।

आंगनवाड़ी, भारत की सामाजिक कल्याण और विकास रणनीति का एक अभिन्न अंग है, जो बचपन की देखभाल और विकास, मातृ स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी शिक्षा के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। "आंगनवाड़ी" शब्द हिंदी शब्दों "आंगन" (आंगन) और "वाड़ी" (केंद्र), इन दो शब्दों का युग्म है जो समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए देखभाल और सहायता हेतु स्थान का प्रतीक है।

पिछले कुछ दशकों में, आंगनवाड़ी केंद्र प्रायोगिक परियोजनाओं से विकसित होकर पूरे भारत में फैले समुदाय-आधारित केंद्रों के विशाल नेटवर्क में बदल गए हैं। शुरू में कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, उनकी भूमिका का विस्तार समग्र बाल विकास के उद्देश्य से सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी को शामिल करने के लिए हुआ। यह विकास नीतिगत परिवर्तनों, जनसांख्यिकीय बदलावों और गरीबी के चक्र को तोड़ने और मानव विकास परिणामों में सुधार करने में प्रारंभिक बचपन के महत्व की बढ़ती मान्यता से प्रेरित रहा है।

आंगनवाड़ी सेवाओं के विस्तार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार नीतिगत ढाँचों और सरकारी पहलों द्वारा समर्थित किया गया है। 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति ने बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, जबकि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में बाद के संशोधनों और परिवर्धन ने भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेवाओं और पहुंच को व्यापक बनाया।

आंगनवाड़ी के उद्देश्य और सेवाएं

आंगनवाड़ी केंद्रों के प्राथमिक उद्देश्य बहुआयामी हैं और मातृ शिशु एवं बाल कल्याण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं -

पोषण: कुपोषण से निपटने और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पूरक पोषण का प्रावधान करना।

स्वास्थ्य देखभाल: लाभार्थियों में स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाने और उपचार सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण अभियान और संप्रेषण सेवाएं आयोजित करना।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा: संरचित खेल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुविधाजनक बनाना, जिसका उद्देश्य संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करना है।

सशक्तिकरण: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों, कौशल विकास पहलों और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।

संरचना और कार्यप्रणाली

आंगनवाड़ी केंद्र जमीनी स्तर पर संचालित होते हैं, जो आमतौर पर ग्रामीण और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में स्थित होते हैं ताकि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सरकारी सहायता एवं पहुँच सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक केंद्र का प्रबंधन स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों (AWW) और सहायिकाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें समुदाय से चुना जाता है और आवश्यक सेवाएँ प्रभावी ढंग से देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रों की देखरेख और समर्थन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की संगठनात्मक संरचना में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

आंगनवाड़ी कार्यकत्री (AWW): दैनिक कार्यों, सेवा वितरण और सामुदायिक सहभागिता के लिए जिम्मेदार होती हैं।

आंगनवाड़ी सहायिका: प्रशासनिक कार्यों, रसद और सहायक गतिविधियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करती हैं।

पर्यवेक्षक और समन्वयक: सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कई आंगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख करते हैं और मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संसाधन आवंटन प्रदान करते हैं।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूर्व के 10+2 के विभाजन को परिवर्तित करके नई शिक्षा नीति 2020 में 5 + 3 + 3 + 4 का नया स्वरूप दिया गया है। विभिन्न शोधों के निष्कर्ष द्वारा ऐसा पाया गया गया है कि 6 वर्ष तक की आयु तक बालक एवं बालिकाओं के मस्तिष्क का लगभग 85% विकास पूरा हो चुका होता है। इसीलिए इस उम्र में पोषण के साथ-साथ विद्यालय पूर्व तैयारी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तीन वर्षीय 3 + 4 + 5 + आयु वर्ग हेतु बालवाटिका का प्रावधान किया गया है, ताकि छात्रों का शारीरिक बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास सुगमता के साथ हो सके।

पंचवर्षीय आधारिक चरण जिसमें तीन वर्षीय 3 + 4 + 5 + आयु वर्ग हेतु बालवाटिका एवं 6 + 7 + आयु वर्ग हेतु कक्षा 1 एवं कक्षा 2 को सम्मिलित किया गया है। बालवाटिका और द्वि वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा को मिलाकर इसे शिक्षा का आधारिक स्तर या मौलिक चरण कहा गया है। आधारिक स्तर में बालवाटिका के महत्वपूर्ण तीन वर्षीय 3 + 4 + 5 + आयु वर्ग हेतु बालकों की देखभाल एवं शिक्षण की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकत्रिओं को दी गयी है ऐसे में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ,अतः प्रस्तुत शोध पत्र जिसका शीर्षक ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारिक शिक्षा के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौतियाँ - एक अध्ययन'' में आधारिक स्तर से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का अध्ययन किया गया है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौतियों के समाधान कर देने से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है।

समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है-

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारिक शिक्षा के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौतियाँ - एक अध्ययन"

शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का निर्धारण निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के समक्ष बालवाटिका में उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करना और शिक्षा की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के समक्ष बालवाटिका में उत्पन्न चुनौतियों के निराकरण हेतु सम्यक साधन या उपाय का सुझाव देना।

शोध पत्र की परिकल्पनाएं

प्रस्तावित शोध उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है-

- शोध द्वारा चिन्हित चुनौतियों का समाधान कर देने से विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर पर बालवाटिका में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को बालकों की देखभाल एवं शिक्षण कार्य करने में सहायता प्राप्त होगी।

- शोध के परिणाम, विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर से संबंधित बालवाटिका में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की चुनौतियों के प्रति, संबंधित अन्य हितधारकों एवं समाज को जागरूक करने में सफल सिद्ध होंगे।
- प्रस्तुत शोध पत्र के परिणाम नीति निर्माताओं के लिए सहायक सिद्ध होंगे।

शोध न्यादर्श एवं चयन विधि

सरल यादृक्छिक विधि के द्वारा शोध अध्ययन से संबंधित विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर के आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। जिसमें शोध जनसंख्या से 15% विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर के आंगनवाड़ी केंद्र से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मत को जानने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत चुनौती मतमापनी का प्रयोग किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध प्रदत्तों का संकलन

शोध उपकरण मतमापनी के प्रयोग से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। चार बिंदु मतमापनी द्वारा उनके मत प्राप्त किए गए हैं, एवं बातचीत के आधार पर भी उनके मत को जानने का प्रयास किया गया है, जिसे तत्पश्चात अंकित कर लिया गया है।

शोध प्रदत्त विश्लेषन

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन हेतु मत मापनी द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का विश्लेषण सारिणी बनाकर प्रतिशत सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया है।

शोध परिणाम निष्कर्ष एवं व्याख्या

परिणामों की प्राप्ति के लिए प्राप्तांकों का विश्लेषण प्रतिदर्श के आंकड़ों के आधार पर तालिका द्वारा समझे जा सकते है-

तालिका संख्या 1.1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मतानुसार अभिभावकों से सहयोग को दर्शाती सारिणी -

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी -कभी	कभी नहीं
अंक	26	10	18	2
प्रतिशत	46.42%	17.85%	32.14%	3.57%

तालिका संख्या 1.1 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा छात्रों को विद्यालय लाने व घर वापस ले जाने में अभिभावकों के सहयोग की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है जिसमें ये दर्शाया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रिओं के मतानुसार कुल प्रतिदर्श में से

46.42% सदैव सहयोग करते है जबकि 17.85% प्रायः सहयोग करते है एवं 32.14% कभी-कभी सहयोग कर पाते हैं और 3.57% कभी भी सहयोग नहीं करते है।

अतः तालिका द्वारा स्पष्ट है की माता उन्मुखीकरण बैठक आदि कार्यक्रमों के संचालन के बावजूद भी अभिभावकों में अपने पाल्यों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। बालवाटिका उनके लिए अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर, अपने कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में सहयोग प्राप्त कर लेने जैसा है। ससमय बालवाटिका में भेजने हेतु उदासीनता दृष्टिगत होती है। अभिभावक छोटे बच्चों के वस्त्रों एवं साफ सफाई के प्रति भी जागरूक नहीं हैं। बालवाटिका के संचालन में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त कर पाना आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है।

तालिका संख्या 1.2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मतानुसार बालकों को बालवाटिका ले जाने हेतु घर पहुंचने पर क्या बालक तैयार मिलते हैं इस प्रश्न पर बालकों की स्थिति सम्बन्धी सारिणी-

संख्या	**सदैव**	**प्रायः**	**कभी -कभी**	**कभी नहीं**
अंक	24	15	14	3
प्रतिशत	42.85%	26.78%	25.0%	5.35%

सारणी संख्या 1.2 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के अभिभावकों के घर पहुंचने पर विद्यार्थियों की तैयारी सम्बन्धी सूचना है, जिसमे कुल प्रतिदर्श में से 42.85% विद्यार्थी सदैव तैयार मिलते है। 26.78% विद्यार्थी प्रायः तैयार मिलते है जबकि 25.0% कभी-कभी तैयार मिलते है। 5.35% विद्यार्थी कभी भी तैयार नहीं मिलते हैं।

तालिका द्वारा स्पष्ट है की अभिभावक अपने नन्हे पाल्यों के प्रति जागरूक नहीं है। उनका अपने आर्थिक हितों हेतु जाते समय छात्रों को वहां देखरेख हेतु छोड़ देना ही उद्देश्य मात्र है। छात्रों के सीखने या शैक्षिक अनुभवों को प्राप्त करने को वे महत्त्व नहीं देते हैं , जो की आंगवाड़ी कार्यकत्रियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

तालिका संख्या 1.3

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत आंगनवाड़ी केंद्र में ,बालवाटिका के बालक बालिकाओं हेतु उपलब्ध कक्षा-कक्षों की स्थिति संबंधी सारणी-

संख्या	**एक कक्ष है**	**दो कक्ष हैं**	**तीन कक्ष हैं**	**एक भी नहीं**
अंक	51	4	0	1
प्रतिशत	91.07%	1.78%	0%	7.14%

तालिका संख्या 1.3 में आँगनवाड़ी केंद्र में कक्षा कक्षों की संख्या के विषय में सूचना एकत्र की गयी है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कुल प्रतिदर्श में से 91.07% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है कि बालवाटिका के संचालन हेतु एक ही कक्ष उपलब्ध है एवं 1.78% ने स्वीकार किया है कि सञ्चालन हेतु दो कक्ष दिए गए है। तीन कक्षों की उपलब्धता के विषय में किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकत्री ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है जबकि 7.14% कार्यकत्रियों के अनुसार एक भी कक्ष उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जहाँ प्राथमिक विद्यालय पहले ही कक्षा कक्षों की कमी से जूझ रहे थे वहीँ बालवाटिका की तीन कक्षाओं के सञ्चालन की व्यवस्था करना स्वयं में चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है की

जहाँ आंगवाड़ी केंद्र में पहले से ही प्रसूतिका महिलाओं हेतु टीकाकरण राशन एवं दवा वितरण आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं ऐसे में बालवाटिका की तीन कक्षाओं को एक ही कक्ष में संचालित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

तालिका संख्या 1.4

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत विभाग द्वारा प्रदत्त शिक्षण सामग्री पुस्तकें एवं खिलौने इत्यादि के रखरखाव की मौजूदा स्तिथि सम्बन्धी सारिणी-

संख्या	आंगनवाड़ी कक्षा कक्ष में	विद्यालय कक्षा कक्ष में	पुस्तकालय कक्ष में	अलग से कक्ष उपलब्ध नहीं है
अंक	3	3	0	50
प्रतिशत	5.35	5.35	0	89.3

सारणी संख्या 1.4 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कुल प्रतिदर्श में से 89.3% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है की बालवाटिका में सामग्री के रखरखाव हेतु अलग से कक्ष उपलब्ध नहीं है। 5.35% कार्यकत्रियों के अनुसार सामग्री आंगनवाड़ी कक्षा कक्ष में रखी जाती है, जबकि 5.35% कार्यकत्रियों के अनुसार सामग्री विद्यालय कक्षा कक्ष में रखी जाती है। पुस्तकालय या बालवाटिका हेतु अलग से कोई कक्षा कक्ष जैसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है जो की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के समक्ष एक गंभीर चुनौती है।

तालिका संख्या 1.5

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के सहभागिता की आवयश्कता सम्बन्धी सारिणी-

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी-कभी	कभी नहीं
अंक	32	13	8	3
प्रतिशत	57.14	23.21	14.28	5.35

सारणी संख्या 1.5 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कुल प्रतिदर्श में से 57.14% कार्यकत्रियों ने यह माना है की उन्हें शिक्षण कार्य हेतु सदैव अनुभवी शिक्षकों की सहभागिता की आवश्यकता होती है, जबकि 23.21% कार्यकत्रियों का मानना है की उन्हें प्रायः शिक्षकों की आवश्यकता होती है। 14.28% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है की उन्हें कभी-कभी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। वहीं 5.35% कार्यकत्रियों के अनुसार उन्हें शिक्षण कार्य हेतु अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता कभी नहीं होती है।

अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है की बालवाटिका के छात्र-छात्राओं के शिक्षण कार्य हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसी शिक्षक को ही उपयुक्त मानती हैं। स्वयं शिक्षण कार्य करने में असमर्थता या चुनौती अनुभव करती हैं।

तालिका संख्या 1.6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुभूत केंद्र में बालवाटिका के साथ-साथ पूर्व संचालित कार्यक्रमों यथा राशन वितरण, दवा वितरण आदि संचालन की स्तिथि।

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी-कभी	कभी नहीं
अंक	18	5	28	5
प्रतिशत	32.14	8.92	50	8.92

सारणी संख्या 1.6 में आंगनवाड़ी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों यथा राशन वितरण, दवा वितरण में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कुल प्रतिदर्श में से 32.14% कार्यकत्रियों के अनुसार सदैव असुविधा होती है, जबकि 8.92% के अनुसार प्रायः असुविधा होती है। 50% कार्यकत्रियों के अनुसार कभी-कभी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जबकि 8.92% के अनुसार कभी भी असुविधा नहीं होती है।

अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है की पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों एवं आंगनवाड़ी बालवाटिका का संचालन एक साथ किया जाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है जिसका निराकरण किये बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के लक्ष्यों को प्राप्त करना चुनौती है।

तालिका संख्या 1.7

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के प्रति रूचि एवं मनः स्तिथि।

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी-कभी	कभी नहीं
अंक	22	9	20	5
प्रतिशत	39.28	16.07	35.71	8.92

सारणी संख्या 1.7 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की कार्य संतुष्टि के विषय में आंकड़े एकत्र किये गए हैं। 56 में से 39.28% आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने यह दर्शाया है की उन्हें सदैव अतिरिक्त कार्य का बोझ अनुभव होता है। 16.07% आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने यह दर्शाया है की उन्हें प्रायः अतिरिक्त कार्य का बोझ अनुभव होता है जबकि 35.71% आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने यह दर्शाया है की उन्हें कभी-कभी अतिरिक्त कार्य का बोझ अनुभव होता है। केवल 8.92% कार्यकत्रियों ने ही यह दर्शाया है की उन्हें अतिरिक्त कार्य का बोझ कभी नहीं अनुभव होता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है आंगनवाड़ी कार्यकत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अनुपालन के बाद से अतिरिक्त कार्य का बोझ अनुभव कर रही हैं।

तालिका संख्या 1.8

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में बालवाटिका के छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु माता उन्मुखीकरण बैठकों प्रतिभाग करने वाली माताओं की उपस्थिति से सम्बंधित सारिणी।

संख्या	100% प्रतिभाग करती हैं	75% प्रतिभाग करती हैं	50% प्रतिभाग करती हैं	25% से कम
अंक	7	21	18	10

प्रतिशत	12.5	37.5	32.14	17.85

तालिका संख्या 1.8 में बकवाटिका के छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु होने वाली माता उन्मुखीकरण बैठक में माताओं की उपस्थिति सम्बन्धी सूचना एकत्र की गयी है जिसमे आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने दर्शाया है की 56 में से केवल 12.5% ने स्वीकार किया है की 100% माताएं प्रतिभाग करतीं है, जबकि 37.5% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है कि 75% माताएं उन्मुखीकरण बैठकों में प्रतिभाग करतीं है। 32.14% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है कि 50% माताएं उन्मुखीकरण बैठकों में प्रतिभाग करतीं है एवं 17.85% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है कि 25% से कम माताएं ही उन्मुखीकरण बैठकों में प्रतिभाग करतीं है।

अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि माताओं में अपने पाल्यों के सर्वांगीण विकास हेतु जागरूकता की कमी है।

तालिका संख्या 1.9

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में बालवाटिका का संचालन दो विभागों के सहयोग से किये जाने सम्बन्धी सारणी।

संख्या	**पूर्णतः सहमत**	**सहमत**	**असहमत**	**पूर्ण असहमत**
अंक	31	22	1	2
प्रतिशत	55.35	39.28	1.78	3.57

सारिणी संख्या 1.9 में 56 कार्यकत्रियों के कुल प्रतिदर्श में से 55.35% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है की वे पूर्णतः सहमत हैं की बालवाटिका का संचालन किसी एक विभाग द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि 39.28% कार्यकत्रियों ने स्वीकार किया है की वे सहमत हैं बालवाटिका का संचालन किसी एक विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। केवल 1.78% ने स्वीकार किया है की वे असहमत हैं बालवाटिका का संचालन किसी एक विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जबकि 3.57% ने स्वीकार किया है की वे पूर्णतः असहमत है।

अतः यह देखा जा सकता है की बहुसंख्यक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानना है कि बालवाटिका की संपूर्ण ज़िम्मेदारी किसी एक विभाग को ही दी जानी चाहिए।

चुनौतियाँ

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, आंगनवाड़ी प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसकी प्रभावशीलता और पहुंच को प्रभावित करती हैं।आंकड़ों के आधार पर विभिन्न चुनौतियाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त की निम्नलिखित है:

- बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता: आंगनवाड़ी केंद्रों में उचित भवन, स्वच्छता सुविधाएं और शैक्षिक सामग्री सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है, जो सेवा वितरण और सामुदायिक सहभागिता में बाधा डालता है।
- प्रशिक्षित कर्मियों की कमी: विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और निरंतरता को प्रभावित करती है।
- खाद्य सामग्री की अनियमित आपूर्ति एवं मध्यान्ह भोजन हेतु विद्यालय पर निर्भरता पौष्टिक भोजन और अनुपूरकों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना रसद संबंधी मुद्दों, बजट की कमी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण एक चुनौती बनी हुई है।
- अभिभावकों के वांछित सहयोग का अभाव :आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मतानुसार अभिभावकों का वांछित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कभी कृषि एवं कभी मजदूरी या अन्य कार्यों में संलग्न होने के कारण बालवाटिका में बच्चे समय से नहीं पहुंचते हैं माताएँ स्वच्छता के प्रति भी ध्यान नहीं देती हैं कई बार तो कई दिनों तक रिस्तेदारी में या रोजगार हेतु

बाहर चले जाने के कारण भी बच्चे कई कई दिन तक अनुपस्थित हो जाते हैं जिससे उनके सीखने के क्रम में स्वाभाविक बाधा पहुँचती है

- सामुदायिक सहभागिता का अभाव: समुदायों के बीच कम जागरूकता और भागीदारी, विशेष रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के संबंध में, प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन और प्रभाव में बाधा उत्पन्न करती है।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य में उन्हें सदैव ही अनुभवी शिक्षकों की सभागिता की आवश्यकता महसूस होती है बच्चों की देखभाल तो वे कर लेती हैं पर छात्रों को नयी तकनीकियों उपयोग करके छात्रों को समझाना कठिन लगता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने बताया की उनको गांव में भी शिक्षकों जितनी मान्यता एवं सराहना नहीं मिलती है ऐसे में शिक्षण कार्य उनके लिए लिए बोझ सदृश है जिसके लिए उन्होंने असमर्थता जताई है।
- आंगनवाड़ी कार्यक्रमों ने एक मत होकर यह स्वीकार किया है की आंगनवाड़ी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों जैसे - गोदभराई, टीकाकरण, मात्र-शिशु देखभाल, बालकों के स्वस्थ्य की जांच आदि कार्यक्रमों को करने में वे सहज हैं , परन्तु बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षक को ही उपयुक्त मानती हैं।

सुझाव

- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के अनुसार,आंगनवाड़ी केंद्रों में विभाग द्वारा प्रदत्त कार्यों के अनुरूप बुनियादी ढाँचे का अभाव है ,जिस वजह से उन्हें नित ही अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अतः सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित करके बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए अतः इस ओर प्रयास किये जा सकते हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रिओं के अनुसार शिक्षण कार्य में रूचि ही नहीं है,ऐसा बताया तदनुरूप इन परिस्थितियों में आधारिक स्तर के नन्हे छात्रों हेतु अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए अतः इस ओर प्रयास किये जा सकते हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रिओं के अनुसार शिक्षक छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक समझते है, छात्रों को समझाने व पढ़ाने में वे स्वयं को उपयुक्त नहीं मानती। अतः अध्यापन कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षकों का ही होना चाहिए तथा बालको के शिक्षण एवं मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्णतयः विद्यालय की होनी चाहिए अतः इस ओर प्रयास किये जा सकते हैं।
- आंगनवाड़ी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों जैसे - गोदभराई, टीकाकरण, मात्र-शिशु देखभाल, बालकों के स्वस्थ्य की जांच आदि कार्यक्रमों हेतु ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन्होंने केंद्र में सिलाई, कढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र विशेष से सम्बंधित शिल्प प्रशिक्षण दिए जाने के लिए सहमति जताई जिससे उन्हें महिलाओं को जागरूक करने में सहायता मिल सके अतः इस ओर भी प्रयास किये जा सकते हैं।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में नवविवाहिताओं एवं नवयुवतियों को रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी आंगनवाड़ी केंद्रों में सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है जिससे आधारिक स्तर के उनके पाल्यों की देखभाल एवं शिक्षा हेतु उनमे सहज ही जागरूकता आ जाएगी अतः इस ओर प्रयास किये जा सकते हैं।

संदर्भ- ग्रंथ सूची

जोन्स, एल. (2017)। नीति प्रभावशीलता का मूल्यांकन: प्रारम्भिक बचपन शिक्षा सुधारों का एक केस अध्ययन। शैक्षिक मूल्यांकन और नीति विश्लेषण, 38(4), 467-482।

जॉनसन, बी., और जैक्सन, सी. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में चुनौतियाँ और अवसर: शिक्षकों के दृष्टिकोण। शैक्षिक नेतृत्व त्रैमासिक, 42(3), 289-305।

स्मिथ, ए. (2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझना: मौलिक चरण के लिए निहितार्थ। जर्नल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, 15(2), 123-137।

एलिया, एल.ए., फैब्रिया, एम.एफ., रोल्डन, आर.डी.ए., और फारूकी, ए.जेड. (2020)। शिक्षकों की कोविड-19 जागरूकता, दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के अनुभव और संस्थागत तत्परता और चुनौतियों के प्रति धारणाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च, 19(6), 127-144।

गुप्ता, पी. (2021)। प्रारम्भिक बचपन शिक्षा में समानता और पहुंच: एनईपी 2020 और पिछली नीतियों का एक तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक शिक्षा जर्नल, 18(2), 201-215।

कल्याणी, पी. (2020). भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य और हितधारकों पर इसके प्रभावों के विशेष संदर्भ में एनईपी 2020 [राष्ट्रीय शिक्षा नीति] पर एक अनुभवजन्य अध्ययन। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7(5), 1-17।

कौर, जी., और सिंह, एम. (2020)। नीति विश्लेषण: प्रारम्भिक बचपन शिक्षा के लिए एनईपी 2020 के निहितार्थ को समझना। शैक्षिक नीति विश्लेषण पुरालेख, 28(3), 301-315।

मिश्रा, पी. (2021)। प्रारम्भिक बचपन शिक्षा को मजबूत करना: एनईपी 2020 की समीक्षा। प्रारम्भिक वर्ष शिक्षा जर्नल, 12(4), 401-415।

मिश्रा, आर., और शर्मा, एस. (2019)। नीति कार्यान्वयन में हितधारकों की भूमिका की जांच: शैक्षिक सुधारों से सबक। जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 30(3), 321-335।

पटेल, आर.के. (2020)। एनईपी 2020 के संदर्भ में प्रारम्भिक बचपन की शिक्षा: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 25(4), 567 582।

शर्मा, आर. (2018)। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा में पाठ्यचर्या विकास पर परिप्रेक्ष्य: एक तुलनात्मक विश्लेषण। पाठ्यचर्या पूछताछ, 24(1), 89-104।